

राजस्थान सरकार  
श्रम विभाग

क्रमांक:-एफ7/सांख्यिकी/प्रवर्तन/श्रम/2010/16755

जयपुर, दिनांक: 24-10-2017

परिपत्र

बिजनेस रिफॉर्मस एक्शन प्लान-2017(BRAP-17) के तहत Ease of Doing Business(EoDB) के निर्धारित मापदण्डों को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत संस्थानों के पंजीयन हेतु आवेदन करने के समय विभाग द्वारा पंजीयन से पूर्व संस्थान का उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षण नहीं किया जायेगा।



(सी.बी.एस. राठौड़)  
अतिरिक्त श्रम आयुक्त  
एवं संयुक्त शासन सचिव,  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:-एफ7/सांख्यिकी/प्रवर्तन/श्रम/2010/16756-93

जयपुर, दिनांक: 24-10-2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय श्रम मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, उद्योग विभाग तिलक मार्ग, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त.....।
5. समस्त श्रम कल्याण अधिकारी.....।
6. रक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त श्रम आयुक्त  
एवं संयुक्त शासन सचिव,  
राजस्थान, जयपुर।